भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4484

19 मार्च 2026, को उत्तर दिए जाने के लिए

सरकार द्वारा वित्तपोषित रिक्त आवासों को एआरएचसी इकाइयों में परिवर्तित किया जाना

4484. श्री हँसमुखभाई सोमाभाई पटेलः
श्री मितेश पटेल बकाभाईः
श्री राजपालसिंह महेंद्रसिंह जादवः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गुजरात और तमिलनाडु में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स (एआरएचसी) योजना के अंतर्गत परिवर्तित किए जाने के लिए चिह्नित किए गए सरकार द्वारा वित्तपोषित रिक्त आवासों की संख्या कितनी है;
(ख) उक्त आवासों में से अब तक सफलतापूर्वक कार्यात्मक रेंटल हाउसिंग इकाइयों में परिवर्तित किए गए आवासों की संख्या कितनी है;
(ग) सरकार द्वारा गुजरात और तमिलनाडु में शेष, सरकार द्वारा वित्तपोषित रिक्त आवासों को एआरएचसी इकाइयों में परिवर्तित करने में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और
(घ) गुजरात और तमिलनाडु में ग्रीनफील्ड एआरएचसी इकाइयों के विकास में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के अंतर्गत आने वाली चुनौतियों के समाधान के लिए तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (घ): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ने देश भर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)/निम्न आय वर्ग (एलआईजी) श्रेणी के प्रवासी श्रमिकों, शहरी गरीबों और अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के सामने आने वाली आवास से संबंधित आवश्यकता को पूरा करने के लिए जुलाई 2020 में प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) की एक उप-

योजना के रूप में किफायती किराया आवास परिसरों (एआरएचसी) की शुरुआत की। यह योजना दो मॉडलों के माध्यम से कार्यान्वित की गई है।

मॉडल-1 के तहत, कुल 5,783 सरकारी वित्तपोषित खाली आवासों को एआरएचसी में परिवर्तित किया गया है, जिनमें से 2,602 इकाइयां गुजरात राज्य से हैं। इसके अतिरिक्त, गुजरात राज्य में 1,947 मौजूदा सरकारी वित्तपोषित खाली आवासों को एआरएचसी इकाइयों में परिवर्तित करने के प्रस्ताव प्रक्रियाधीन हैं।

इसके अलावा, मॉडल-2 के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने गुजरात और तमिलनाडु में क्रमशः 453 और 61,411 एआरएचसी इकाइयों सहित कई राज्यों में नवीन निर्माण प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए 83,298 नई एआरएचसी इकाइयों के निर्माण के प्रस्तावों को अनुमोदित किया है, जिनमें से तमिलनाडु में अब तक 40,630 इकाइयों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इसके अलावा, मॉडल-2 के तहत गुजरात राज्य में पारंपरिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए 1,682 एआरएचसी इकाइयों का निर्माण कार्य शुरू किया गया है।

इसके अलावा, एआरएचसी की सीख के आधार पर, पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत किफायती किराया आवास (एआरएच) का एक समर्पित घटक प्रावधान किया गया है। पीएमएवाई-यू 2.0 के इस योजना के दिशानिर्देश https://pmay-urban.gov.in/uploads/guidelines/Operational-Guidelines-of-PMAY-U-2.pdf पर उपलब्ध हैं। पीएमएवाई-यू 2.0 के एआरएच घटक का उद्देश्य शहरी प्रवासियों/औद्योगिक श्रमिकों/कामकाजी महिलाओं/छात्रों/शहरी गरीबों आदि सहित अभीष्ट लाभार्थियों के कार्यस्थलों के करीब किफायती किराया आवास के निर्माण को बढ़ावा देना है। एआरएच घटक को दो मॉडलों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है:

मॉडल -1: सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के माध्यम से या सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा मौजूदा सरकारी वित्तपोषित खाली आवासों को एआरएच में परिवर्तित करना।

मॉडल -2: शहरी गरीबों, कामकाजी महिलाओं, उद्योगों के कर्मियों, औद्योगिक संपदाओं, संस्थाओं और अन्य पात्र ईडब्ल्यूएस/एलआईजी परिवारों के लिए निजी/सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा किराया आवास का निर्माण, संचालन और रखरखाव करना।

इस संबंध में, पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत सभी इच्छुक सार्वजनिक/निजी संस्थाओं द्वारा नई एआरएच इकाइयों के निर्माण के लिए परियोजना प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के लिए मंत्रालय द्वारा रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) जारी की गई है। ईओआई के लिए वेब लिंक https://pmay-urban.gov.in/ARH-EOI.pdf पर है। इसके अलावा, पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत

एआरएच घटक के मॉडल-2 के तहत, गुजरात राज्य के लिए मंत्रालय द्वारा कुल 1,745 इकाइयों को स्वीकृति दी गई है, जिसमें 15.70 करोड़ रुपये का प्रौद्योगिकी नवाचार अनुदान (टीआईजी) शामिल है।
